संख्याः 363 / XXXVIII / 09–47 / 2007

प्रेषक,

राजीव चन्द्र,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद,
देहरादून।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुभागः **देहरादूनः दिनाँकः 04 दिसम्बर, 2009**

विषयः विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत विज्ञान केन्द्र (Science City) के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 6342 / UCOST / सचिवालय / 24 / 2009–10, दिनाँकः 03 दिसम्बर, 2009 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन विज्ञान केन्द्र (Science City) की स्थापना हेतु आयोजनागत पक्ष में वित्तीय वर्ष 2009–10 मे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् हेतु शासनादेश संख्याः 384(बजट) / XXXVIII / 09–28 / 2009, दिनांकः 07.09.2009 के अंतर्गत धनराशि रू0 100.00 लाख मात्र (रू0 एक करोड़) स्वीकृत की गयी धनराशि में से विज्ञान केन्द्र के निर्माण हेतु वित्त विभाग (टी0ए0सी0) द्वारा साइंस सिटी के निर्माण हेतु प्रशासनिक भवन, चाहरदीवारी, ओवरहैड टैंक, ट्यूब वैल तथा पहुँच मार्ग के निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन रू0 499.08 लाख के सापेक्ष औचित्यपूर्ण आगणन धनराशि रू0 477.86 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है। साइंस सिटी के निर्माण हेतु उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम को प्रथम किस्त के रूप में धनराशि **रू0 25.00 लाख (रू0 पच्चीस लाख मात्र)** की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुए व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

2. उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत की जाती है कि वे भारत सरकार के दिशा निर्देशों की अनुपालना एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के प्रतिबन्धों का परिपालन करते हुए समयबद्व रूप से विज्ञान केन्द्र का निर्माण सुनिश्चित करायें एवं यथा आवश्यक समक्ष प्राधिकारी से प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त कर लेगें।

3. उक्त स्वीकृति मुख्य सचिव के पत्र संख्या 92 / XXVI / एक(II) / 2009, दिनांक 30 सितम्बर, 2009 के अन्तर्गत "विभिन्न विभागों के अन्तर्गत निर्माण कार्यों में Defect Liability Period तथा अनुरक्षण अनुबन्ध संबंधी प्राविधान" में उल्लिखित शर्तों का पूर्ण अनुपालन करने की शर्तो के साथ प्रदान की जा रही है।

4 स्वीकृत धनराशि का आवश्यकतानुसार कोषागार से आहरण किया जायेगा और मदवार आवश्यकतानुसार ही व्यय की जायेगी।

.....2 / –

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन हो अर्थात आवंटित धनराशि का व्यय करते समय वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स एवं मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।

6. उक्त निर्देशों का अनुपालन न होने की दशा में संबंधित का उत्तर दायित्व होगा।

7. व्यय करने से पूर्व जहाँ सक्षम अधिकारी का प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसे व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही व्यय किया जायेगा।

8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा पूर्ण उपभोग प्रमाण पत्र एवं बी0एम0–13 पर शासन को दिनांक 31.03.2010 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे तथा शेष धनराशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरांत समर्पित कराना सुनिश्चित करें।

9. स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारी, देहरादून से प्रतिहस्ताक्षरित कराने के उपरान्त कोषागार में जमा कराते हुए धनराशि आहरित की जायेगी तथा कार्यदायी संस्था को प्रथम फेज के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि को पूर्ण व्यय एवं व्यय की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए पुनः 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

10. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु अनुदान संख्या–23 मुख्य लेखाशीर्षक 3425–अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 60–अन्य, 004–अनुसंधान तथा विकास, 07–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को सहायता–00–आयोजनागत के अन्तर्गत मानक मद संख्या–20–सहायक अनुदान/अशंदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(राजीव चन्द्र)
सचिव।

संख्याः 563 (1)/XXXVIII/09–47/2007, तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित : –

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग–5,
5. बजट अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।
6. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
8. निजी सचिव–प्रमुख सचिव उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
अनु सचिव।

science city